पंचायत निगरानी संख्या : 79/2025

उनवान : जोराराम बनाम लुम्बाराम देवासी व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

## पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 79/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2025/134

| प्रार्थी :– | | अप्रार्थीगण :– |
|---|---|---|
| जोराराम पुत्र लाखाराम देवासी निवासी बिरामी ढाणी तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज. | बनाम | 1. लुम्बाराम देवासी पुत्र धनाराम जाति देवासी निवासी बिरामी ढाणी तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.<br>2. सरपंच ग्राम पंचायत बिरामी पंचायत समिति सुमेरपुर, जिला पाली राज. |

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत बिरामी द्वारा दिनांक 05.02.2019 को पारित संकल्प संख्या 02 को निरस्त किये जाने एवं इसके अनुसरण में जारी पट्टा संख्या 49 दिनांक 20.02.2019 को निरस्त कराने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सखाराम देवासी।
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री दशरथ कुमार।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

<u>–:निर्णय:–</u>

दिनांकः 31.10.2025

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत **ग्राम पंचायत बिरामी द्वारा दिनांक 05.02.2019 को पारित संकल्प संख्या 02 को निरस्त किये जाने एवं इसके अनुसरण में जारी पट्टा संख्या 49 दिनांक 20.02.2019 को निरस्त कराने बाबत्** पेश की गई, निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

निगरानी याचिका के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम बिरामी ढाणी तहसील सुमेरपुर का स्थायी निवासी है। अप्रार्थी संख्या एक लुम्बाराम देवासी के नाम पर अप्रार्थी संख्या दो ग्राम पंचायत बिरामी ने मिसल संख्या 57/2017–18 के जरिये पट्टा संख्या 49 दिनांक 20.02.2019 को संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.02.2019 की अनुपालना में पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया है, उक्त पट्टा संख्या 49 में उल्लेखित पड़ौस के अनुसार कोई भूखण्ड की भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में नहीं हैं। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा माह जून वर्ष 2025 के अन्तिम सप्ताह में उपरोक्त अवैध, शून्य एवं निष्प्रभावी पट्टे के आधार पर रास्ता की अतिक्रमण की कोशिश किये जाने पर प्रार्थी सहित अन्य लोगो के द्वारा विरोध किये जाने पर अप्रार्थी संख्या एक ने स्वयं के पक्ष में जारी पट्टे की फोटो प्रति दी एवं स्वयं के पट्टाशुदा होने की जानकारी, उक्त पट्टे की जानकारी होते ही उपरोक्त विवरण के पट्टे व

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली



Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 79 / 2025

उनवान : जोराराम बनाम लुम्बाराम देवासी व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

सम्बन्धित संकल्प से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा उक्त निगरानी याचिका निम्न आधारों पर प्रस्तुत की हैः–

1. यह कि ग्राम पंचायत को आबादी भूमि में ही निर्मित मकान के भूखण्ड का ही पट्टा जारी करने की शक्तियां प्रदान है।
2. यह कि पट्टा में उल्लेखित पड़ौस बीच विवरण का कोई भूखण्ड ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में नहीं है। जिससे भी निगरानी काबिल स्वीकृति है।
3. यह कि पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार मौका निरीक्षण नहीं किया, मौका निरीक्षण के अभाव में ग्राम पंचायत द्वारा जारी संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.02.2019 क्षेत्राधिकार विहिन होने से इसके अनुसरण में जारी पट्टा संख्या 49 दिनांक 20.02.2019 कानूनन अवैध, शून्य एवं निष्प्रभावी है। जिससे भी निगरानी स्वीकृत योग्य है।
4. यह कि अप्रार्थी संख्या 01 लुम्बाराम के हक में जारी पट्टा बने रहने से मौके पर कभी भी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो सकती हैं, जिसको बने रहने का कोई विधिक औचित्य नहीं है।
5. यह है कि ग्राम पंचायत ने भी भूमि की जांच किये बिना ही आबादी क्षेत्र में निर्मित मकान के अभाव में एवं आधिपत्य के अभाव में पट्टा जारी किया हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत की मिसल संख्या 57 / 2017–18 के संबंध में संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.02.2019 को अधिकार विहिन पारित किया हैं को एवं इसके अनुसरण में जारी पट्टा संख्या 49 दिनांक 20.02.2019 को जारी किया जिसको निरस्त किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।
6. यह है कि पट्टे में अंकित पड़ौस विवरण एवं नाप विवरण में की गयी कांट–छाँट से भी पट्टे की विश्वनियता पर सन्देह जारी करता है। जिससे भी निगरानी काबिल स्वीकृत है।
7. यह कि उक्त निगरानी याचिका नियमानुसार न्यायालय शुल्क रुपये 1 / – पर प्रस्तुत है।
8. यह कि निगरानी का आवेदन श्रीमान के अधिकार क्षेत्र व श्रवणाधिकार क्षेत्र का है।
9. यह कि प्रार्थी को उक्त अवैध पट्टे की जानकारी माह जून वर्ष 2025 के अन्तिम सप्ताह में हुयी है। निगरानी याचिका हेतु कोई समय सीमा तय नहीं होने से उक्त निगरानी याचिका अवधिकाल प्रस्तुत है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतः उपरोक्तानुसार निगरानी याचिका प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत बिरामी प.स. सुमेरपुर का रिकॉर्ड तलब कर प्रार्थी की निगरानी याचिका स्वीकार कर ग्राम पंचायत बिरामी पं. स. सुमेरपुर द्वारा दिनांक 05.02.2019 को पारित संकल्प संख्या 02 को निरस्त किये जाने एवं इसके अनुसरण में जारी पट्टा संख्या 49 दिनांक 20.02.2019 को निरस्त फरमावें।

निगरानी याचिका दर्ज कर अप्रार्थीगण को ज़रिए सम्मत तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या दो सरपंच, ग्राम पंचायत बिरामी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने निगरानी याचिका का जवाब पेश कर निवेदन किया किः–

1. पद संख्या एक निगरानी याचिका में उल्लेखित कथन सही होने से स्वीकार है।
2. पद संख्या दो निगरानी याचिका में उल्लेखित कथन सही होने से स्वीकार है।
3. पद संख्या तीन निगरानी याचिका में उल्लेखित कथन सही होने से स्वीकार है।
4. पद संख्या चार निगरानी याचिका में उल्लेखित कथन सही होने से स्वीकार है।
5. पद संख्या पांच निगरानी याचिका में उल्लेखित कथन सही होने से स्वीकार है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली



Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 79 / 2025

उनवान : जोराराम बनाम लुम्बाराम देवासी व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

6. पद संख्या छः निगरानी याचिका में उल्लेखित कथन सही होने से स्वीकार है।
7. पद संख्या सात निगरानी याचिका में उल्लेखित कथन कानुनी है, जो श्रीमान न्यायालय के गौर का है।
8. पद संख्या आठ निगरानी याचिका में उल्लेखित कथन कानुनी है, जो श्रीमान न्यायालय के गौर का है।
9. पद संख्या नौ निगरानी याचिका में उल्लेखित कथन सही होने से स्वीकार है।
10. पद संख्या आठ निगरानी याचिका में उल्लेखित कथन कानुनी है, जो श्रीमान न्यायालय के गौर का है।
11. पद संख्या तैरह निगरानी याचिका में उल्लेखित कथन कानुनी है, जो श्रीमान न्यायालय के गौर का है।

अतः प्रार्थी की निगरानी याचिका का जवाब अप्रार्थी संख्या एक की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की निगरानी स्वीकार फरमाते हुए ग्राम पंचायत बिरामी पं.स. सुमेरपुर द्वारा दिनांक 05.02.2019 को पारित संकल्प संख्या 02 को निरस्त की जावें एवं इसके अनुसरण में जारी पट्टा संख्या 49 दिनांक 20.02.2019 को निरस्त फरमावें।

निगरानी से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड (पट्टा बूक एवं बैठक कार्यवाही रजिस्टर) ग्राम पंचायत से प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया तथा बहस सुनने का निश्चय किया गया।

काबिल अधिवक्ता याचिपक्ष ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैर निगरानी आलोच्य संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.02.2019 तथा इसके अनुक्रम में निष्पादित पट्टा विलेख संख्या 49 दिनांक 20.02.2019 से सम्बन्धित भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में अवस्थित नहीं है तथा ग्राम पंचायत बिरामी द्वारा क्षेत्राधिकार विहिन कार्यवाही करते हुए न केवल गैर आबादी भूमि में पट्टा विलेख निष्पादित करने का निर्णय लिया गया अपितु खाली भूखण्ड पर 'पुराने गृहों के विनियमितिकरण' के रुप में नियम 157 में आलोच्य पट्टा विलेख निष्पादित किया गया, जो कि अवैध है।

काबिल अधिवक्ता बज़तरफ अप्रार्थी संख्या एक ने याचिका में अंकित तथ्यों को सही होना स्वीकार करते हुएए उपरोक्त तर्कों का प्रतिकार नहीं किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया।

याचिकाकर्ता ने ग्राम पंचायत द्वारा पारित आलोच्य संकल्प तथा पट्टा विलेख को मुख्यतः इस आधार पर चुनौति दी है कि उक्त संकल्प तथा पट्टा विलेख गैर आबादी भूमि (पद संख्या दो) तथा खाली भूखण्ड पर पुराने गृहों का विनियमितिकरण के रुप में जारी कर ग्राम पंचायत बिरामी द्वारा कानूनी भूल एवं अवैध कार्यवाही कारित की गई है।

पट्टाधारी एवं अप्रार्थी संख्या एक श्री लुम्बाराम देवासी द्वारा ज़रिए अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत कर उपरोक्त दोनों आक्षेपों का सही होना स्वीकार किया है अर्थात् यह स्वीकार्य स्थिति (admitted position) है कि ग्राम पंचायत बिरामी द्वारा जैर निगरानी आलोच्य संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.02.2019 द्वारा न केवल क्षेत्राधिकार से परे जाकर गैर आबादी भूमि के विक्रय का निर्णय लिया गया अपितु राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के प्रावधानान्तर्गत पुराने गृहों के विनियमितिकरण के रुप में खाली भूखण्ड का पट्टा विलेख भी निष्पादित किया गया, जो कानूनी रुप से अनुमत नहीं है।

**अतः प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत बिरामी द्वारा पारित संकल्प संख्या 02**

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

**अतिरिक्त जिला कलेक्टर**
**बाली, जिला-पाली**

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 79 / 2025

उनवान : जोराराम बनाम लुम्बाराम देवासी व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

**दिनांक 05.02.2019 तथा मिसल संख्या 57 / 2017–18 में सम्पादित सम्पूर्ण कार्यवाही को अवैधानिक होने से अपास्त किया जाता है तथा इसके अनुक्रम में निष्पादित भूमि विक्रय विलेख संख्या 49 बहक श्री लुम्बाराम दिनांक 20.02.2019 को निरस्त किया जाता है।**

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बिरामी को निर्देशित किया जाता है कि निरस्त किये गये उपरोक्त भूमि विक्रय विलेख पर लाल स्याही से बड़े अक्षरों में क्रॉस तथा निरस्त का अंकन किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक **31.10.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ पंचायत का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली (पाली)